



2026:AHC-LKO:20864

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सं. - 15/2016

ओम प्रकाश और अन्य

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

मैनेजर साकेत एच.पी.मसौधा पेट्रोल पंप संतोष सिंह और अन्य.

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मनोज साहू, सोनिका साहूप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : आदित्य तिवारी

न्यायालय सं. - 20**माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार**

1. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दावाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत 20,000/- रुपये का चेक अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज साहू और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य तिवारी को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह अपील, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत, कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/सहायक आयुक्त, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा डब्ल्यू.सी. वाद संख्या 04/2013 में दिनांक 03.11.2015 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है; जिसके द्वारा कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त के न्यायालय ने दावाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं के पक्ष में 1,20,000/- रुपये का प्रतिकर और जुर्माने के रूप में अतिरिक्त 10,000/- रुपये प्रदान किए थे।

4. वाद के तथ्यात्मक विवरण यह हैं कि श्री पवन कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप पर एक सेल्समैन के रूप में कार्य कर रहे थे। दिनांक 09.04.2012 को रात लगभग 09:30 बजे, जब वे पेट्रोल पंप पर अपना कार्य कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार आया और उसने पेट्रोल लिया। जब उसने पैसे मांगे, तो मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उस समय, प्रतिवादी संख्या 2 ने मृतक के परिवार को 1,00,000/- रुपये का भुगतान किया था। जब उचित प्रतिकर नहीं दिया गया, तो मृतक के परिवार के सदस्यों ने फैजाबाद स्थित कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त के न्यायालय में एक दावा याचिका दाखिल की। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त ने दलीलें सुनने, अभिलेख की जाँच करने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक, प्रतिवादी संख्या 2 के पेट्रोल पंप पर ही कार्य कर रहा था। जब वह अपना कार्य कर रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल सवार आया, उसने पेट्रोल खरीदा, और जब मृतक ने पैसे मांगे, तो उसे गोली मार दी गई; और उस गोली से घायल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होने के कारण, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तदनुसार, अधिकरण ने दिनांक 03.11.2015 के आदेश के माध्यम से 1,20,000/- रुपये का प्रतिकर और जुर्माने के रूप में अतिरिक्त 10,000/- रुपये देने का आदेश दिया। इस आदेश को दावाकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि दिया गया प्रतिकर उचित नहीं था, क्योंकि मृतक 6,000/- रुपये का वेतन ले रहा था; जबकि अधिकरण ने गणना के लिए केवल 1,000/- रुपये की राशि को ही आधार माना और उसी के अनुसार प्रतिकर दिया।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि मृतक एक कुशल श्रमिक था और उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने का अनुभव था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अनुसार, जो दिनांक 01.04.2012 से 30.09.2012 तक प्रभावी था (और जो उस समय लागू था जब यह घटना घटी थी), उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल और डीज़ल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मज़दूरी 220.35 रुपये निर्धारित थी, क्योंकि वे कुशल श्रमिक थे, और उन्हें यही राशि दी जानी चाहिए थी। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3509/2018 (संतोष कुमार बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2 अन्य) में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने न्यूनतम मज़दूरी के आधार पर प्रतिकर की राशि बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ब्याज की दर केवल 9% निर्धारित की गई है, जबकि यह 12% होनी चाहिए थी।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती रेशमा देवी और अन्य 2017(3) एडीजे 685 के वाद का भी हवाला दिया है जिसमें प्रकाशित किया गया है; विशेष रूप से इस निर्णय के अनुच्छेद संख्या 9, 10 और 11 का, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अगली दलील यह है कि अधिकरण ने जो 100/- रुपये प्रतिदिन की आय मानी है, वह अत्यधिक है, निराधार है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दावे को दर्ज करते समय, अधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जो लक्ष्मी देवी और अन्य बनाम मोहम्मद तब्बर और अन्य, 2008 (2) टीएसी 394 एससी वाद में दिया गया था। इस निर्णय में, अकुशल श्रमिक की अनुमानित आय 100/- रुपये प्रतिदिन मानी गई थी। 2008 के बाद से अब तक बहुत समय बीत चुका है। यह आम जानकारी की बात है कि मूल्य के सूचकांक में बढ़ोतरी के साथ-साथ, वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले, दोनों तरह के लोगों की मजदूरी में काफी वृद्धि हुई है। 2014 में, जब यह दुर्घटना हुई थी, तब तो एक दिहाड़ी श्रमिक की औसत आय भी 200/- रुपये प्रतिदिन से कम नहीं मानी जा सकती। हमारी सुविचारित राय में, अधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय 100/- रुपये प्रतिदिन मानकर विधि की एक स्पष्ट त्रुटि की है।"

10. संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2012) 6 एससीसी-421 के वाद में, प्रकाशित अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

17. यद्यपि, संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों की मज़दूरी/आय में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है और यह सरकारी कर्मचारियों तथा निजी क्षेत्रों में कार्य करने वालों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग स्वरोज़गार में लगे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग रोज़ाना, मासिक या मौसमी आधार पर कार्य करते हैं, उनकी आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई है। हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि जीवन-यापन की बढ़ती लागत से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए, बाद वाली श्रेणी में आने वाले लोग समय-समय पर अपने श्रम की कीमत बढ़ा देते हैं। इस संदर्भ में, एक दर्जी का उदाहरण देना उपयोगी हो सकता है जो कपड़े सिलकर अपनी आजीविका कमाता है। यदि जीवन-यापन की लागत बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए अपने श्रम की कीमत बढ़ाना बिल्कुल स्वाभाविक है। साधारण कुशल और अकुशल श्रमिकों के मामले में भी ऐसा ही होगा, जैसे कि नाई, लोहार, मोची, राजमिस्त्री, आदि।

11. मानवीय जीवन के मूल्य को मापने के लिए कोई एक समान और सटीक नियम नहीं हो सकता, और प्रतिकर की राशि का निर्धारण केवल सटीक गणितीय गणनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। स्पष्टतः प्रतिकर का निर्धारण वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन निर्धारित प्रतिकर की राशि में निष्पक्षता का तत्व ही अंतिम मार्गदर्शक कारक होता है। इस दृष्टिकोण से, वर्ष 2014 में एक अकुशल श्रमिक की भी सांकेतिक आय मात्र 100/- रुपये प्रतिदिन मान लेना हमें बहुत अल्प प्रतीत होता है; और किसी भी तरह से इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता विशेषकर तब, जब बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी भी इस राशि से कहीं अधिक है। हमारा सुविचारित मत है कि एक अकुशल श्रमिक की सांकेतिक आय 200/- रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होनी चाहिए।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतक एक सेल्समैन के रूप में कार्य कर रहा था, और इसलिए उसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जहाँ न्यूनतम मज़दूरी 220.35/- रुपये प्रतिदिन है; तदनुसार, दावाकर्ताओं द्वारा 6,000/- रुपये प्रति माह की दर से किया गया दावा उचित था। यहाँ तक कि **संतोष कुमार** (उपर्युक्त) और **श्रीमती रेशमा देवी** (उपर्युक्त) के वादों में भी, इस न्यायालय ने मृतक की आय को 6,000/- रुपये प्रति माह माना था।

8. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा जताया है, जो अरुण कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2010 एसीजे 2161 में प्रकाशित, रामचंद्रप्पा बनाम प्रबंधक, रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2011 (13) एससीसी 236 में प्रकाशित, हंसनाथ यादव और अन्य बनाम यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ 2015 (1) टीएसी 219 (All) में प्रकाशित, श्रीमती सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य 2009 (6) एससीसी 121, और न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती रेशमा देवी और अन्य 2017 (3) एडीजे 685 में प्रकाशित के वादों से संबंधित हैं।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मृतक एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहा था और नियुक्ति पत्र के अनुसार, उसे केवल 1,000/- रुपये वेतन मिल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि रसीदें भी पेश की गई हैं, जिनसे यह पता चलता है कि मृतक को हर माह केवल 1,000/- रुपये दिए जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से उचित है, क्योंकि दावाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके कि उसे हर महीने 1,000/- रुपये से ज़्यादा वेतन मिल रहा था, और न ही अधिकरण के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों का खंडन किया गया।

10. दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।

11. यह एक बहुत ही दुखद मामला है, जिसमें दावाकर्ता का पुत्र, जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी, प्रतिवादी संख्या 2 के पेट्रोल पंप पर कार्य करता था, जहाँ वह अलग-अलग वाहनों में पेट्रोल भरता था। काम के दौरान, एक मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल भरवाने आया; जब उससे पैसे माँगे गए, तो मोटरसाइकिल वाले ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से घायल होने के कारण, इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय प्रतिवादी संख्या 2 ने 1,00,000 रुपये का भुगतान किया था, यद्यपि, उसके बाद प्रतिवादियों ने दावाकर्ता के परिवार को कोई और राशि नहीं दी। प्रतिवादी संख्या 2 के अड़ियल रवैये से व्यथित होकर, दावाकर्ता ने फैजाबाद क्षेत्र के कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त / सहायक आयुक्त के न्यायालय में प्रतिकर के लिए एक याचिका दाखिल की। इसके बाद, न्यायालय ने मृतक की आय 1,000 रुपये मानते हुए, 1,20,000 रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया। प्रतिकर देने का कारण यह बताया गया कि मृतक एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहा था और उसे हर महीने 1,000 रुपये वेतन मिलता था। यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार जो दिनांक 01.04.2012 से 30.09.2012 तक लागू था। पेट्रोल और डीज़ल पंपों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन इस प्रकार होना चाहिए था: यदि वे कुशल थे, तो 220.35 रुपये प्रतिदिन; यदि वे अकुशल थे, तो 174.14 रुपये प्रतिदिन; और यदि वे अर्ध-कुशल थे, तो 198.51 रुपये प्रतिदिन।

12. प्रतिवादियों के अधिवक्ता की ओर से अभिलेख पर ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि प्रशिक्षु अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए थे। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 के प्रावधान। इनकी अनुपस्थिति में, केवल एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि मृतक एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहा था।

13. चूंकि यह विवादक इस बात से संबंधित है कि मृतक को एक कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था या नहीं, इसलिए उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति की जांच करना आवश्यक है। तेल वितरण का कार्य, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए, स्पष्ट रूप से कुशल श्रम की श्रेणी में आएगा। तदनुसार, 220.35 रुपये प्रति दिन की दर से मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि, यह मानना उचित है कि मृतक ने म.ह. के सभी 30 दिन कार्य नहीं किया होगा, इसलिए, 26 कार्य दिवसों के लिए मजदूरी की गणना करना उचित होगा, जो लगभग 5,729.10 रुपये प्रति माह बनती है। एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, आय को 5,700 रुपये प्रति माह तक पूर्णांकित करना उचित होगा। यद्यपि, संतोष कुमार (उपर्युक्त) के एक समान मामले में, मृतक की आय को 6,000 रुपये प्रति माह माना गया था।

14. जहां तक ब्याज का संबंध है, अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया 9% ब्याज पूरी तरह से उचित प्रतीत होता है।

15. तदनुसार, कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/सहायक आयुक्त, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा डब्लू.सी. वाद संख्या 04/2013 में दिनांक 03.11.2015 को पारित विवादित निर्णय और अधिनिर्णय को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है:-

अधिकरण द्वारा वेतन को 1,000/- रुपये प्रति माह मानते हुए दिया गया प्रतिकर।	इस न्यायालय द्वारा, वेतन को ₹5,700/- प्रति माह मानते हुए, प्रतिकर प्रदान किया गया।
$1000/2 \times 221.37 = 1,10,685$ रुपये और अधिनियम के अनुसार, मृत्यु की स्थिति में प्रतिकर की न्यूनतम राशि 1,20,000/- रुपये है; अतः, अधिकरण ने 1,20,000/- रुपये का प्रतिकर दिया।	$5700/2 \times 221.37 =$ ₹6,30,904/- विधि के अनुसार सूत्र लागू किया गया।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल इस राशि में संशोधन किया गया है और अधिकरण द्वारा दी गई शेष राशियाँ यथावत रहेंगी। जो राशि पहले ही भुगतान की जा चुकी है, उसे इस न्यायालय द्वारा संशोधित प्रतिकर की राशि में समायोजित किया जाएगा।

17. इस अपील का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

18. आवश्यक अनुपालन हेतु, अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

23 मार्च 2026

सौरभ यादव/

Translated Version. Not for Legal Use.